

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला-अशोकनगर

क्रमांक/जिव्याउके-अनगर /कले./2024-25/540 अशोकनगर दिनांक 27/08/24

// आदेश //

प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आदेश क्रमांक 2031/A-11/2024/वि.स.क./ भोपाल दिनांक 24.08.2024 से अन्तर्विभागीय समन्वय हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति का गठन करते हुए जिला स्तर पर निवेश प्रोत्साहन केन्द्र की स्थापना करने एवं डिप्टी कलेक्टर स्तर से अनिम्न अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त आदेश के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख कार्यालय कलेक्टर जिला-अशोकनगर को जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोडल अधिकारी जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति के सदस्य सचिव भी होंगे।



कलेक्टर

जिला-अशोकनगर

अशोकनगर दिनांक 27/08/24

क्रमांक/जिव्याउके-अनगर /कले./2024-25/541

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त एमएसएमई, उद्योग संचालनालय म0प्र0 भोपाल।
3. संभागीय आयुक्त, ग्वालियर सम्भाग, ग्वालियर।
4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. ग्वालियर।
6. वन मण्डलाधिकारी, अशोकनगर, सदस्य समिति।
7. संयुक्त संचालक, उद्योग, पउका, ग्वालियर, सदस्य समिति।
8. कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय एम.पी.आई.डी.सी. ग्वालियर, सदस्य समिति।
9. सम्भागीय यंत्री, एमपीसीजेड अशोकनगर, सदस्य समिति।
10. जिलाधिकारी, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला अशोकनगर सदस्य समिति।
11. जिला अधिकारी, श्रम विभाग अशोकनगर सदस्य समिति।

//2//

12. उपायुक्त/सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर अशोकनगर सदस्य समिति।
13. क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, गुना सदस्य समिति।
14. जिला अग्रणी बैंक अधिकारी अशोकनगर, सदस्य समिति।
15. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अशोकनगर, सदस्य समिति।
16. जिला खनिज अधिकारी, अशोकनगर, सदस्य समिति।
17. मुख्य नगरपालिका अधिकारी अशोकनगर, सदस्य समिति।
18. प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख, कलेक्टर कार्यालय अशोकनगर, सदस्य सचिव समिति।
19. प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टर कार्यालय अशोकनगर निवेश प्रोत्साहन केन्द्र स्थापित करने हेतु पालनार्थ।
(*समिति अर्थात जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति)



कलेक्टर

जिला-अशोकनगर